श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 2416 का उत्तर सामग्री।

क्र0.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हलहलिया पंचायत में चल रहे अल समीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही साथ अन्य दो पशुवधशाला खुलने से इस क्षेत्र के कई किलोमीटर तक हजारों की संख्या में बसने वाले कई गांव के लोगों को इन दिनों वधशाला में निकली दुर्गन्ध एंवं प्रदुषित जल होने के कारण अनेकों प्रकार की बिमारियों से ग्रस्त होकर लोग घर–परिवार खेती –गृहस्थी छोड़ रहे है; यदि हाँ तो सरकार उक्त पशुवधशालाओं को कब तक बंद करने का विचार रखती हैं, नही तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 230/उ0 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हलहलिया पंचायत में चल रहे अल समीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही अन्य दो पशुवधशाला खुला हुआ है, जिसमें दुर्गन्ध नहीं आने संबंधी तकनिकी यंत्र लगा हुआ पाया गया। उक्त फैक्ट्री से दुर्गन्ध नहीं आ रही है। फलस्वरूप किसी प्रकार की बिमारी फैलने की संभावना नहीं है। उक्त के आलोक में पशुवधशालाओं को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

दिनांक–

ज्ञापांक–
5/स० तारा० प्रश्न (वि०स०)–17/2019
प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं०–795 दिनांक–09.07.2019 के संदर्भ में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3182
5/स० तारा० प्रश्न (वि०स०)–17/2019
दिनांक– 19.07.19
प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 (स०), उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\P.S. cum Chairman BIADA\Section 5\Letter.docx

श्री ललन पासवान, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक-22.07.2019 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ऐ0-11 का उत्तर सामग्री :-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा एस0सी0 एवं एस0टी0 के युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिला के बेरोजगारों को उद्यमी बनाने का निर्णय वर्ष 2017-18 में लिया गया है ;	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2008-09 में शुरू की गयी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र नोडल एजेंसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। राज्यस्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग, बिहार राज्य खादी बोर्ड एवं जिला उद्योगों केन्द्रों द्वारा किया जाता है। इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग के युवक/युवतियों को विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख तक एवं सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख तक की परियोजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक आदि श्रेणी के आवेदकों को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान देय है। आवेदको का स्वअंशदान सामान्य श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक आदि श्रेणी के आवेदको के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित है। शेष राशि बैंको के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मात्र 407 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनु0 जाति के 339 एवं जन जाति के 68 युवा ही शामिल है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजनान्तर्गत कुल 3238 आवेदको को ऋण दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के 339 आवेदकों एवं अनुसूचित जनजाति के 68 आवेदक सम्मिलित है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य के खगड़िया, रोहतास, सहित बारह जिलों में कम अनुपात में ऋण उपलब्ध कराया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि बांका, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, लखीसराय, पं0 चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं अरवल जिला में अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को बैंको द्वारा लक्ष्य से काफी कम ऋण स्वीकृत किया गया।
4. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर समय सीमा के अन्दर बेरोजगार युवाओं को ऋण उपलब्ध कराकर बेरोजागारी कम करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	योजना की प्रगति का नियमित अनुश्रवण सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित एस0एल0बी0सी0 की उप समिति एवं राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों एवं बैंक के साथ आयोजित बैठक में किया जाता है। उच्चस्तर पर इसकी समीक्षा राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के बैठक में भी किया जाता है।
	2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को ऋण दिलाने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

RANJAN KUMAR(SATISH SIR)1213

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 3138 दिनांक– 17.07.19
05/स0 तारांकित प्रश्न (वि0स0)– 19/2019
प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक– 803 दिनांक– 10.07.2019 के संदर्भ में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3138 दिनांक– 17.07.19
05/स0 तारांकित प्रश्न (वि0स0)– 19/2019
प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा के 16वां सत्र में श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– ऐ–12 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखण्ड के बिजुलपुर पंचायत अन्तर्गत विष्णुपुरवा गाँव में ट्रान्सफार्मर का तार कुमार इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाता है, जिसके उत्पादित उत्पादन की बिक्री हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। किसी भी ईकाई के द्वारा उत्पादित उत्पाद की बिक्री हेतु उद्योग विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सभी क्रेता विभाग अपनी मांग और आवश्यकता के अनुसार सामग्रियों का क्रय करते हैं। सरकार द्वारा सामग्रियों के क्रय करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम के अनुसार राज्य में अवस्थित सूक्ष्म, लघु औद्योगिक ईकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। मे0 कुमार इण्डस्ट्रीज के उत्पाद का क्रय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि0 से संबंधित है। पूर्व में इस उद्योग के द्वारा आवेदन दिए जाने पर उद्योग निदेशालय के पत्रांक 2465 दिनांक 17.07.2018 और 3909 दिनांक 12.11.2018 द्वारा क्रमशः साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0, पटना और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि0, पटना को आवश्यक निर्देश दिया गया था।
ख)	क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत विभाग के लिए क्रय करने का प्रावधान है; परन्तु अभी तक कुमार इन्डस्ट्रीज से कोई खरीदारी नहीं की गयी है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी टेंडर में राज्य में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के भाग लेने पर राज्य से बाहर की ईकाई द्वारा निवेदित न्यूनतम दर (L-1) से 15% अधिक दर निवेदित करने पर भी राज्य में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की निविदा को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तथा कुल क्रय के 15% तक का क्रयादेश राज्य में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को न्यूनतम दर (L-1)पर दिया जा सकता है।
ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस उद्योग से उत्पादित सामग्री को उचित मूल्य पर क्रय करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 3147 दिनांक– 17.07.19
05/स0 तारांकित प्रश्न (वि0स0)– 20/2019
प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञाप सं0– 814 दिनांक– 12.07.2019 के संदर्भ में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3147 दिनांक– 17.07.19
05/स0 तारांकित प्रश्न (वि0स0)– 20/2019
प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–02 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

श्री राघव शरण पाण्डेय, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–10

प्रश्नकर्त्ता श्री राघव शरण पाण्डेय, स०वि०स० प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
1. क्या यह सही है कि प० चम्पारण जिले में तीन गन्ना विकास पदाधिकारी के पद होने के बावजूद एक ही पदाधिकारी पदस्थापित है, जबकि दो गन्ना विकास पदाधिकारी का पद दो वर्षो से रिक्त है तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण एवं गोपालगंज जिला के प्रभार में हैं, यदि हाँ तो सरकार द्वारा एक ईख विकास पदाधिकारी को एक साथ दो जिला का प्रभार का दायित्व सौंपने का क्या औचित्य है?	1. उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गन्ना उद्योग विभाग अन्तर्गत प० चम्पारण जिले में ईख विकास अन्तर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास के 2 पद सृजित है एवं उनके परिक्षेत्र स्तरीय उप निदेशक, ईख विकास का 1 पद पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में सृजित है। उक्त पदों के विरूद्ध कृषि विभाग द्वारा पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध करायी जाती है। विदित हो कि वर्त्तमान् में प० चम्पारण अन्तर्गत सृजित कुल दोनों पद रिक्त है। उक्त पदों पर पदस्थापन हेतु कृषि विभाग से विभागीय पत्रांक–764 दिनांक–10.05.2018, 1018 दिनांक–27.06.2018, 113 दिनांक–22.01.2019 एवं 950 दिनांक–26.06.2019 के द्वारा अनुरोध किया गया है। कार्यहित में तत्काल रिक्त पदों के विरूद्ध अतिरिक्त प्रभार देकर कार्यो का निष्पादन कराया जा रहा है।

(3)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.07.2019 को बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–07

प्रश्नकर्त्ता श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्रीमती बीमा भारती मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर, कोटवा, केसरिया, संग्रामपुर, चकिया प्रखंड सहित अन्य प्रखंड क्षेत्र के हजारों किसानों के करोड़ों रूपये का गन्ना मूल्य का भुगतान, सिधवलिया, गोपालगंज तथा सासामूसा सुगर फैक्ट्री में पेराई सत्र 2018–19 का किसानों के गन्न का बकाया है, जिसके कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है;	1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत चीनी मिलों द्वारा पेराई वर्ष 2018–19 में दिनांक–15.07.2019 तक किये गये ईख मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	ईख मूल्य देय (लाख रू० में)	ईख मूल्य भुगतान (लाख रू० में)	अवशेष राशि (लाख रू० में)	भुगतान प्रतिशत
01.	सुगौली	11049.67	3818.88	7230.79	34.56
02.	गोपालगंज	18910.66	10875.02	8035.64	57.51
03.	सिधवलिया	18975.31	15560.85	3414.46	82.01
04.	सासामूसा	5226.82	1237.02	3989.80	23.67

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर किसानों के पैसे का भुगतान कर देने का सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है;	2. उत्तर स्वीकारात्मक है।
(3) यह उपर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गन्ना किसानों के सूद सहित बकाये का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है ?	3. विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से राज्य के सभी चीनी मिलों को बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–43 (2) (ii) प्रावधानों के अनुसार ईखापूर्ति के 14 दिनों के अन्दर संबंधित गन्ना कृषक को उनके ईख मूल्य का भुगतान करने का निदेश दिया गया है। बकाये ईख मूल्य का विलम्बित अवधि के लिए नियमानुसार सूद सहित भुगतान करने हेतु सभी चीनी मिलों को निदेशित किया गया है।

(4)

माननीय स०वि०स०, श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा दिनांक–22.07.2019 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न ईख–5 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर सामग्री
(क) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत 22 करोड़ 34 लाख 27 हजार एवं 26 करोड़ 21 लाख 6 हजार रूपये व्यय करने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया था, उक्त वर्णित दोनों वित्तीय वर्ष में योजना के लिए प्रावधानित राशि का मात्र क्रमशः 35 एवं 32 प्रतिशत राशि ही खर्च किये जाने का औचित्य क्या है?	(क) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल 2234.27 लाख रू0 के विरूद्ध कुल 1344.51 लाख रू0 व्यय हुआ, जो प्रावधानित राशि का 60.17 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित कुल 2621.06 लाख रू0 के विरूद्ध कुल 868.76 लाख रू0 व्यय हुआ, जो प्रावधानित राशि का 33.14 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में मार्च, 2019 में लोकसभा चुनाव के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण व्यय प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है।

(5)

श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–22.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० प्रश्न क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्रीमती बीमा भारती मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। उत्तर
1. क्या यह सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत सभी चीनी मिलों में किसानों को गन्ना का भुगतान वर्ष 2018–19 के दिनांक–10 फरवरी तक कर दिया गया है, लेकिन–10 फरवरी, 2019 से अबतक का किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को भुखमरी की हालत है; यदि हाँ तो सरकार उक्त किसानों के गन्ना का भुगतान कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत चीनी मिलों द्वारा पेराई वर्ष 2018–19 में दिनांक–15.07.2019 तक किये गये ईख मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	ईख मूल्य देय (लाख रू० में)	ईख मूल्य भुगतान (लाख रू० में)	अवशेष राशि (लाख रू० में)	भुगतान प्रतिशत
01.	बगहा	35917.87	26307.00	9610.87	73.24
02.	हरिनगर	52404.96	42165.68	10239.28	80.46
03.	नरकटियागंज	37192.28	30275.56	6916.72	81.40
04.	मझौलिया	18978.25	10455.39	8522.86	55.09
05.	लौरिया	10464.91	3931.90	6533.01	37.57

विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से राज्य के सभी चीनी मिलों को बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–43 (2) (ii) प्रावधानों के अनुसार ईखापूर्ति के 14 दिनों के अन्दर संबंधित गन्ना कृषक को उनके ईख मूल्य का भुगतान करने का निदेश दिया गया है। बकाये ईख मूल्य का विलम्बित अवधि के लिए नियमानुसार सूद सहित भुगतान करने हेतु सभी चीनी मिलों को निदेशित किया गया है।

(6)

श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला दिनांक–22.07.2019 को तारांकित प्रश्न संख्या–ईख–11

प्रश्नकर्त्ता
श्री भाई वीरेन्द्र,
स॰वि॰स॰

उत्तरदाता
श्रीमती बीमा भारती
मंत्री
गन्ना उद्योग विभाग।

प्रश्न

क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

उत्तर

1. क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियम अधिनियम 1981 की धारा 43 (2) एवं 43 (3) के तहत किसानों से क्रय की गई गन्ना का भुगतान 14 दिनों के अंदर चीनी मिलों द्वारा किये जाने का प्रावधान है;

1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. क्या यह सही है कि वर्ष 2018–19 में हसनपुर चीनी मिल 3756.50 लाख रू० एवं प्रतापपुर चीनी मिल 1072.46 लाख रू० का किसानों के बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है;

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि हसनपुर एवं प्रतापपुर चीनी मिलों द्वारा पेराई वर्ष 2018–19 में दिनांक–12.07.2019 तक किये गये ईख मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है:–

क्र॰ सं॰	चीनी मिल का नाम	ईख मूल्य देय (लाख रू॰ में)	ईख मूल्य भुगतान (लाख रू॰ में)	अवशेष राशि (लाख रू॰ में)	भुगतान प्रतिशत
01.	हसनपुर	17873.83	15078.80	2795.03	84.36
02.	प्रतापपुर	1541.80	576.54	965.26	37.39

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त चीनी मिलों पर किसानों के बकाया राशि का भुगतान सरकार कब तक कराने का विचार रखती है?

3. विभिन्न विभागीय पत्रों के माध्यम से राज्य के सभी चीनी मिलों को बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–43 (2) (ii) प्रावधानों के अनुसार ईखापूर्ति के 14 दिनों के अन्दर संबंधित गन्ना कृषक को उनके ईख मूल्य का भुगतान करने का निदेश दिया गया है। बकाये ईख मूल्य का विलम्बित अवधि के लिए नियमानुसार सूद सहित भुगतान करने हेतु सभी चीनी मिलों को निदेशित किया गया है।